समाचार पत्र पंजीयन क्र.: MPBIL/2004/13955 डाक पंजीयन संख्याःम.प्र./भोपाल/4–461/2018–20 मूल्य : 10/– रू.

Reg.No.:756-13.02.1960

उद्यम प्रेरणा

(एमएसएमई की सशक्त आवाज)

NABET Gold Category

पाक्षिक–वर्षः 15 अंकः 19 भोपाल दि.–10.10.2018

(परिपत्र क्र. 53–56)

परिपत्र क्रमांक : 53

Workshop on "Ease of Doing Export Business"

On 05/10/2018 at Jabalpur

उद्घाटन सत्र

मध्यप्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज आर्गेनाइजेशन भोपाल, फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन(FIEO) इन्दौर तथा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन(ECGC), इन्दौर भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली आयुक्तालय, जीएसटी जबलपुर तथा एयू स्माल फाइनेन्स बैंक जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 05.10.2018 को जबलपुर में "Ease of Doing Export Business" विषय पर माननीय श्री प्रमोद कुमार जी अग्रवाल(IRS), आयुक्त(जीएसटी), जबलपुर के मुख्य अतिथ्य में दीप प्रज्जवलन के साथ कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। अतिथि दैवो भव की परंपरा को निभाते हुए आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री कैलाश अग्रवाल जी ने माननीय मुख्य अतिथि श्री प्रमोद कुमार जी अग्रवाल का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। साथ ही साथ आर्गेनाइजेशन के अन्य पदाधिकारियों द्वारा पधारे हुए अन्य अतिथियों/विशेष विशेषज्ञों का भी पुष्प गुच्छ से स्वागत अभिनंद किया गया। अपने स्वागत उद्बोधन में श्री अग्रवाल ने कहा कि म..प्र. में निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु कोई विभाग कार्य नहीं कर रहा है। इस हेतु राज्य शासन को निर्यात/आयात नीति बनानी चाहिए, कारण वर्तमान में बहुत से उत्पादों के निर्यात की प्रचुर संभावनाएं प्रदेश में उपलब्ध है।

सम्पादन सहयोगीः **कैलाश अग्रवाल, अजय नाहर एवं सुनील गोठी**

M.P. Small Scale Industries Organization

E-2/30, Arera Colony, Bhopal - 462016 (MP)

श्री अरूण जैन ने आज के कार्यक्रम की भूमिका एवं आयोजन पर प्रकाश डालते हुए संबोधित किया कि, आज की यह कार्यशाला जबलपुर स्थित एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन हेतु आयोजित की गई है। ताकि उत्पाद पर मूल्य संवर्धन का लाभ मिल सकें और वे पल्लवित हो सकें। इस हेतु कार्यक्रम पधारें सभी अतिथियों/विशेषज्ञों का भी अभिवादन किया।

श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल(IRS), आयुक्त जीएसटी जबलपुर ने मॉ नर्मदा का वंदन करते हुए कहा कि MSME और Export हमारे दो बड़े दुलारे शब्द है। आज इस संदर्भ पर आयोजित कार्यशाला से मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। इस विकास यात्रा हेतु हमारा विभाग हर संभव सहायता देने हेतु तत्पर रहेगा। एमएसएमई देश की अर्थ व्यवस्था की आधारभूत स्तम्भ है। एमएसएमई का रोजगार सृजन, निर्यात, औद्योगिक उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद(GDP) मे सराहनीय योगदान है। उन्होंने आंकड़ों के साथ एमएसएमई के योगदान की जानकारी दी तथा उपस्थित उद्यमियों का आव्हान करते हुए कहा कि, हमें सीमित साधनों में असीमित संभावनाएं ढूंढना है और इस हेतु हमें आज संकल्प लेना होगा कि हमें निर्यात की दिशा में आगे बढ़ना है, तभी हम निर्यात में सफलता प्राप्त कर देश/प्रदेश के लिये जहां एक ओर विदेशी मुद्रा ला सकेंगे वही अपने व्यवसाय को भी बढ़ा सकेंगे। श्री अग्रवाल ने अपने उद्‌बोधन में यह भी अश्वस्त किया कि सरकार आपकी बातों को सुनने तथा मानने को तत्पर है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यवसायियों/उद्यमियों की मांग पर जीएसटी कानूनों में 385 संशोधन आज तक किये गये है। निर्यात में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, जिनके निराकरण हेतु फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन(FIEO) तथा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन(ECGC), आयुक्तालय जीएसटी जबलुपर साथ ही साथ वित्तीय सहायता के लिये तत्पर एयू स्माल फाइनेन्स बैंक जबलपुर के अधिकारी उपस्थित है, वे आपको अपनी सेवाओं एवं सहयोग की जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, निश्चित रूप से इनसे आप लाभांन्वित होंगे।

तकनीकी सत्र

तकनीकी सत्र हेतु पधारे विषय विशेषज्ञों द्वारा अपने–अपने विभाग की योजनाओं ,कार्यो एवं उद्‌देशों की जानकारी विस्तार से पॉवर पांइन्ट प्रेजेन्टेशन की माध्यम से दी गई।

1. श्री राजेश भाटिया, डायरेक्टर, Federation of Indian Export Organization (FIEO), Indore
2. श्री नीलेश तिवारी, शाखा प्रबंधक, Export Credit Guarantee Corporation (ECGC), Indore
3. डॉ. सुरभि पण्डेय, उप आयुक्त, जीएसटी, जबलपुर.
4. श्री किरतेश पालीवाल, शाखा प्रबंधक, AU Small Finance Bank, Jabalpur.

कार्यशाला में हमारे बीच ए.के.व्ही.एन. जबलपुर के प्रबंध संचालक, श्री एस.सी. धुर्वे, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर के महाप्रबंधक श्री देवदत्त मिश्रा, महाकौशल चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जबलपुर के अध्यक्ष श्री रवि गुप्ता, सचिव श्री हेमराज अग्रवाल, रेडीमेड गारमेन्ट क्लस्टर जबलपुर के चेयरमेन श्री श्रेयांश जैन, एवं उनके अन्य पदाधिकारी, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे सम्माननीय अतिथि एवं आर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी /सदस्यों की भागीदारी सराहनीय रही।

कार्यक्रम के अन्त में आभार प्रदर्शन श्री सुबोध जैन, उपाध्यक्ष, एमपीएसएसआईओ जबलपुर ने किया।

* * * * *

Ref.: MPSSIO/125 /2018-19/

परिपत्र क्रमांक : 54

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) एक नजर

• ई.सी.जी.सी. क्या है ?

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) भारत सरकार का उद्यम है जो भारतीय निर्यातकों एवं वाणिज्यिक बैंकों को निर्यात ऋण बीमा प्रदान करता है। यह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करना है और इसका प्रबंधन भारत सरकार, भातीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा व निर्यात समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर बने निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। समय के साथ निगम ने भारतीय निर्यातकों एवं वाणिज्यिक बैंकों की आवश्यकताओं अनुरूप विभिनन निर्यात ऋण जोखिम बीमा उत्पाद विकसित किए हैं। ईसीजीसी राष्ट्री य निर्यातों को सुरक्षा प्रदान करने वाला विश्व का सातवां सबसे बड़ा ऋण बीमाकर्ता है।

• ई.सी.जी.सी. क्या करता है ?

- निर्यातकों को उनके माल व सेवाओं के निर्यात में हुई हानि पर ऋण जोखिम बीमा रक्षाओं की श्रृंखला प्रदान करता है।
- निर्यातक, बैंकों को निर्यात ऋण बीमा रक्षा व वित्तीय संस्थानों से बेहतर सुविधाएं प्राप्त कर सकें इसलिए बैंकों व वित्तीय संस्थानों को गारंटियॉ प्रदान करता है।
- उन भारतीय कंपनियों को विदेशी निवेश बीमा प्रदान करता है जो विदेशों में इक्वींटी अथवा ऋण के रूप में संयुक्त उद्यमों में निवेश करते है।

• निर्यातकों की किस तरह सहायता करता है ?

- निर्यातकों को भुगतान जोखिमों पर बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।
- निर्यात संबंधी क्रिया कलापों में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- अपनी ऋण रेटिंग से विभिन्न देशों पर जानकारी उपलब्ध कराता है।
- बैंको/वित्तीय संस्थानों से निर्यात वित्त प्राप्त करना आसान बनाता है।
- अशोध्य ऋणों की वसूली करने में निर्यातकों की सहायता करता है।
- विदेशी खरीदार की उधार पात्रता पर जानकारी देता है।

• निर्यात ऋण बीमा की आवश्यकता।

अच्छे समय में भी निर्यात के भुगतानों के जोखिम बने रहते है। राजनीतिक व आर्थिक परिवर्तन जो विश्व का सफाया कर रहे है के कारण आज बड़ी मात्रा में जोखित संभावित है। युद्ध अथवा गृह युद्ध छिड़ने के कारण निर्यात किए

गए माल के भुगतान में अवरोध या विलंब उत्पन्न हो सकता है। आकस्मिक शासन परिवर्तन अथवा बगावत से भी ऐसे ही परिणम हो सकते है। आर्थिक कठिनाईयॉ अथवा भुगतान संतुलन की समस्या भी देश को कुछ वस्तुओं के आयतों पर अथवा आयात किए गए माल के भुगतान के अंतरण में प्रतिबंध लगा सकते है। इसके अलावा निर्यातक को खरीदार के दिवालिया होने अथवा दीर्घकालिक चूक संबंधी वाणिज्यिक जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक व आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण विदेशी खरीदार दिवालिया होने अथवा अपने कुल भुगतानों की अदायगी करने की क्षमता खोने से वाणिज्यिक जोखिम उत्पन्न हो सकते है। निर्यात ऋण बीमा, निर्यातकों को राजनीतिक व वाणिज्यिक दोनों जोखिमें के परिणामों से रक्षा करने तथा निर्यातक अपना विदेशी व्यापार बिना किसी भय व हानि के बढ़ा सके इसलिए बनाया गया है।

• किन जोखिमों पर रक्षा प्रदान की जाती है ?

वाणिज्यिक जोखिम
खरीदार का दिवालियापन
राजनीतिक जोखिम :

खरीदार के देश में सरकार द्वारा लागू प्रतिबंध अथवा सरकार की कोई ऐसी कार्यवाही जिससे खरीदार द्वारा किए जाने वाले भुगतानों के अंतरण में विलंब अथवा अवरूद्ध हो; खरीदार के देश युद्ध, गृह युद्ध, क्रांति अथवा असैनिक उपद्रव; नए आयात प्रतिबंध अथवा वैध आयात लाइसेन्स का निरसन; भारत के बाहर समुद्री यात्रा का मार्ग परिवर्तन जिसके कारण अतिरिक्त माल भाड़ा अथवा बीमा प्रभार की अदायगी की जानी पड़ी व खरीदार से जिसकी वसूली नहीं की जा सकती साखपत्र खोलने वाले बैंक की दिवालियापन चूक।

• किन जोखिमों पर रक्षा प्रदान नहीं की जाती है ?

- खरीदार द्वारा उठाए गए गुणवत्ता विवादों सहित वाणिज्यिक विवाद, जब तक अन्यथा निर्यातक खरीदार के देश में सक्षम न्यायालय से अपने पक्षव में डिक्री प्राप्त नहीं कर लेता;
- माल की प्रकृति में निहित कारण ;
- खरीदार द्वारा अपने देश के प्राधिकारियों से आवश्यक आयात अथवा विनिमय प्राधिकार प्राप्त करने में असमर्थ होना ;
- माल की हानि अथवा क्षति ;
- विनिमय दर अस्थिरता
- निर्यातक द्वारा निर्यात संविदा की शर्तों के अनुपालन करने में चूक अथवा उसके द्वारा की गयी लापरवाही।

* * * * *

Ref.: MPSSIO/ 125 /2018-19/

परिपत्र क्रमांक : 55

Rajesh Bhatia,
Director, FIEO, Indore

देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई की भूमिका एवं निर्यात संभावनाएँ

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय एमएसएमई उत्पादों की क्षमता राष्ट्रीय निर्यात में लगभग 34 प्रतिशत हिस्से में दिखाई देती है। एमएसएमई दुनिया के कई विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक विकास का खंभा हैं। अक्सर भारत के लिए ''विकास के इंजन'' के रूप में जाना जाता है, एमएसएमई ने रोज़गार के अवसर पैदा करने के मामले में देश के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है– एमएसएमई ने 50 मिलियन से अधिक लोगों को नियोजित किया है, विनिर्माण क्षमताओं को स्केल किया है, क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया है।

वर्ष 2006 में एमएसएमई अधिनियम की शुरूआत के साथ, सेवा क्षेत्र जो अभी तक इस क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था, इस अधिनियम में ऐतिहासिक परिवर्तन करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की परिभाषा में शामिल किया गया था, इस प्रकार इस दायरे का लाभ उठाना इस क्षेत्र ने अब भी पेपरलेस काम के साथ एमएसएमई पंजीकरण ऑनलाइन को सरल बनाया है।

अन्य क्षेत्रों में एमएसएमई का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। कृषि क्षेत्र के बाद यह सबसे बड़ा नियोक्ता है, इस तथ्य के बावजूद कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान एमएसएमई से कम है। हालांकि यह विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 45% योगदान देता है, और शायद 40% निर्यात करने के लिए, यह भारत में रोजगार क्षेत्र का उच्चतम हिस्सा बनाता है, जो इसके लिए लगभग 69% योगदान देता है।

1. बड़े पैमाने पर रोजगार बनाता हैः

चूंकि इस क्षेत्र में आने वाले उद्यमों को व्यवसाय शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए यह कई बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है। भारत प्रति वर्ष 1.2 मिलियन स्नातक पैदा करता है, कुल संख्या में 0.8 मिलियन इंजीनियर हैं और दुनिया में ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो एक वर्ष में इतने सारे नए स्नातकों को रोजगार प्रदान कर सकें। एमएसएमई इन ताजा जनशक्तियों में से कई के लिए वरदान है।

2. विकास और लाभ के संदर्भ में आर्थिक स्थिरता निर्यातः

एमएसएमई भारत में एक महत्वपूर्ण विकास चालक है, जिसके साथ यह सकल घरेलू उत्पाद में 8% की योगदान देता हैं। भारत में निर्यात क्षेत्र अकेले एमएसएमई से लगभग 40% योगदान देता है। विनिर्माण, निर्यात और रोजगार के लिए एमएसएमई के योगदान के प्रकार को देखते हुए, अन्य क्षेत्रों को एमएसएमई से भी लाभ होता है। एमएनसी आज अर्द्ध तैयार, और छोटे उद्यमों से सहायक उत्पादों, उदाहरण के लिए, पट्टियों की खरीद, और ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा ब्रेक खरीद रहे हैं। यह एमएसएमई और बड़ी कंपनियों के बीच एक संबंध बनाने में मदद करता है। जीएसटी 40% एमएसएमई क्षेत्र के कार्यान्वयन के बाद भी जीएसटी पंजीकरण लागू किया गया है जो सरकारी राजस्व में 11% की वृद्धि करता है।